

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग - 3

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

1. स्थल जो वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है।
हाँ नहीं यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न

नहीं

2. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत

हाँ

3. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष

अनुमति

दिनांक :- 31.01.2023

स्थान :- रायपुर


ज. आर. सिंह (मि. व.)
हस्ताक्षर
मुख्य वन संरक्षक
रायपुर वन संरक्षक (मि. व.)